

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प काँडा

क्रमांक: राजस्व / PWS / 2022 / 33 दिनांक : 17/06/22

मि. नं. 121/2022

आवेदक श्री हनुमान चौधरी आदेश काँडा ने
 तहसील कोटखावदा में ग्राम काँडा स्थित आराजी
 ख.न. काँडा रकबा काँडा के संबंध में जमाबन्दी
 सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 365, 232, 151, 279, 308, 364, 366, 45
 दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम
काँडा की जमाबन्दी के खाता संख्या 365, 232, 151, 279, 308, 364, 366, 45
 स्थान पर हनुमान चौधरी के नाम पर काँडा की प्रविष्टि के
 किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के
 अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
 पटवारी हल्का काँडा की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा द्वारा
 की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री हनुमान चौधरी पुत्र
 श्री दत्तात्रेय जाति भूमि निवासी काँडा
 तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
 के खाता संख्या 365, 232, 151, 279, 308, 364, 366, 45 में अंकित प्रविष्टि हनुमान चौधरी
काँडा के स्थान पर हनुमान चौधरी दत्तात्रेय को
 स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

शिवर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जयपुर)

क्रमांक: राजस्व PWS/2022/34-35

दिनांक : 17/06/22

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार काँडा
2. पटवारी हल्का काँडा

शिवर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जयपुर)